



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082021-228938
CG-DL-E-12082021-228938

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460]
No. 460]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2021/श्रावण 21, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2021/SHRAVANA 21, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

सं. 44/2021-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 572(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "विस्को सस्टेपल फाइबर बांस फाइबर वर्जित", जो कि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 5504 10 00 के अंतर्गत आता है, पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को वापस लेती है और एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 43/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 8 अगस्त, 2016, जिसे सा.का.नि. 777(अ) दिनांक 8 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गयी अथवा न की गयी बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. CBIC-190354/74/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 43/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 8 अगस्त, 2016 को सा.का.नि 777(अ) दिनांक 8 अगस्त, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. 39/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), 30 जून, 2021 जिसे सा.का.नि. 455(अ), दिनांक 30 जून, 2021 के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th August, 2021

No. 44/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 572(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government revokes the anti-dumping duty imposed on “Viscose Staple Fibre excluding Bamboo Fibre”, falling under tariff item 5504 10 00 of the First Schedule to the said Act, originating in or exported from People’s Republic of China and Indonesia, and imported into India and hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 43/2016-Customs (ADD) dated the 8th August, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 777(E), dated the 8th August, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. CBIC-190354/74/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 43/2016-Customs (ADD) dated the 8th August, 2016 was published *vide* number G.S.R. 777(E), dated the 8th August, 2016 and last amended by notification No. 39/2021-Customs (ADD) dated the 30th June, 2021 published *vide* number G.S.R. 455(E), dated the 30th June, 2021.